


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक 22.5.19

संख्या-7/डी 1-307/98सा0प्र0...6842.../महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-35381 दिनांक 17.04.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में डॉ० रतन किशोर तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जमुई की सेवाएँ, बिहार राज्य पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना के अधीन नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर में गठित विशेष न्यायालय (इलेक्ट्रिसिटी) के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक सौंपी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


  
22.5.19

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/डी 1-307/98सा0प्र0...6842.../ पटना-15, दिनांक 22.5.19


प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) सी0डी0 के साथ प्रेषित।

  
22.5.19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/डी 1-307/98सा0प्र0...6842.../ पटना-15, दिनांक 22.5.19

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-35381 दिनांक 17.04.2019 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई/डॉ० रतन किशोर तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जमुई/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव एवं आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
22.5.19

सरकार के अवर सचिव।